वन भूमि का औचित्य प्रमाण पत्र

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन एवं रोज़गार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थाई रूप से गरीबी निवारण व पलायन रोकने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले संयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। जिसके क्रम में जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम सरास जनसंख्या 260 व फेतडी जनसंख्या 173 कुल जनसंख्या 433 को संयोजित करने हेतु डी0पी0आर0 गठन कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। ग्राम सरास में उन्नत कृषि भूमि होने के कारण ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, बागवानी, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन है। मोटर मार्ग निर्माण से ग्रामीण अपनी फसल एवं दुग्ध उत्पादित पदार्थो को नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेगे, जिससे स्थायी रोजगार उत्पन्न होगा, पलायन रूकेगा, देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी एवं ग्रामीणों को रोजगार का साधन मिलेगा। प्रस्तावित मार्ग निर्माण से ग्रामीणों का निकटतम बाजार में, विकास खण्ड मुख्यालय, तहसील एवं जिला मुख्यालय तक आवागमन आसान रहेगा। इस मार्ग निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर, बच्चों की स्कूली शिक्षा, ग्रामीणों को स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधायें आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेगे एवं यह मार्ग एक फायर लाईन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख–रेख भी आसानी से कम समय में कर सकेगा। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण होने से सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं का भी सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सकेगा और ग्रामीण विकास में तीव्रता आयेगी। यह एक मात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम सरास की जनसख्या को जोड़ा जा सकेगा तथा इस मोटर मार्ग से गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा।

अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वनभूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला

Scanned by CamScanner